

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक:—प्र02/निगम विविध-10/13(खंड-I)—

/पटना, दिनांक:—

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),

बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:— बिहार राज्य जल विद्युत निगम के अंतर्गत 12 निर्माणाधीन परियोजनाओं में से 09 परियोजनाओं (तेजपुरा, डेहरा, सिपहा, वलिदाद, पहरमा, मथौली, राजापुर, अमेठी एवं डेहरी स्केप) के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 166.81 करोड़ (एक सौ छियासठ करोड़ इक्यासी लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गए राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5.25 करोड़ (पाँच करोड़ पच्चीस लाख) रुपये बिहार राज्य जल विद्युत निगम को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:—स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या-4196 दिनांक-27.08.2025 द्वारा बिहार राज्य जल विद्युत निगम के अंतर्गत 12 निर्माणाधीन परियोजनाओं में से 09 परियोजनाओं (तेजपुरा, डेहरा, सिपहा, वलिदाद, पहरमा, मथौली, राजापुर, अमेठी एवं डेहरी स्केप) के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 166.81 करोड़ (एक सौ छियासठ करोड़ इक्यासी लाख) रुपये की स्वीकृति एवं शेष 03 परियोजनाओं (बरबल, रामपुर एवं नटवार) को बन्द करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपलब्ध कराये गये राशि 4.80 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 5.25 करोड़ रुपये की मांग बिहार राज्य जल विद्युत निगम द्वारा की गयी है, जिसे उपलब्ध कराया जाना है।

2. उक्त आलोक में बिहार राज्य जल विद्युत निगम के अंतर्गत 12 निर्माणाधीन परियोजनाओं में से 09 परियोजनाओं (तेजपुरा, डेहरा, सिपहा, वलिदाद, पहरमा, मथौली, राजापुर, अमेठी एवं डेहरी स्केप) के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 166.81 करोड़ (एक सौ छियासठ करोड़ इक्यासी लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गए राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5.25 करोड़ (पाँच करोड़ पच्चीस लाख) रुपये बिहार राज्य जल विद्युत निगम को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि की मांग सं0-10, मुख्य शीर्ष 6801-बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज, उप मुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष-201-पन बिजली उत्पादन, उपशीर्ष-0101-बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण, विपत्र कोड-10-6801002010101 विषय शीर्ष-55.01-ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष-8448-स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0024-बिहार स्टेट हाईड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, व्यय शीर्ष-L8448001200024 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200024 में जमा की जाएगी।

5. बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गये CFMS खाता संख्या-PTSPLA010 से की जाएगी।
6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक-03.12.2024 के आलोक में परियोजना की पुनरीक्षित लागत की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 दिनांक-05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०२/निगम विविध-10/13(खंड-I) के पृष्ठ संख्या-15/टि० पर दिनांक-26.08.2025 को प्राप्त है।
9. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०२/निगम विविध-10/13(खंड-I) के पृष्ठ संख्या-30/टि० पर दिनांक-08.01.2026 को प्राप्त है।
10. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(सुधा गुप्ता)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०२/निगम विविध-10/13(खंड-I)-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

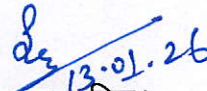
ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-प्र०२/निगम विविध-10/13(खंड-I)- 200

/पटना, दिनांक- 13.01.2026

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि०/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन एवं आई०टी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।